पत्रांक–भवन / मु0अ0(प0) यो0प्राक्क0–01–140 / 2017 361(अ) / पटना, दिनांक– 17/2/26

**बिहार सरकार**

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– Renovation of Garden Development with boundary wall and 125x50mmx110m deep tube well in the Campus of Shekhpura More Garden, Patna कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदत्त कुल **राशि ₹13,89,800/– (तेरह लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति को पुनर्जीवित करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का पत्रांक–6741अनु0, दिनांक–30.08.2017 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल **रू0 ₹13,89,800/– (तेरह लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र** की विभागीय पत्रांक–173, दिनांक–27.11.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. बिहार वित्त नियमावली के नियम–77 के तहत उक्त प्रशासनिक स्वीकृति की पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के कारण इसे पुनर्जीवित (Revalidate) किया जाता है।

3. कार्यपालक अभियंता, उद्यान प्रमंडल, पटना के पत्रांक–1867, दिनांक–22.12.2025 द्वारा में कराये गये कार्यो के निमित्त आवंटन उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में **₹13,89,000/– (तेरह लाख नवासी हजार रूपये) मात्र** के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या–03 के मुख्य शीर्ष– 2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0013–आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानों/पार्को का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार विपत्र कोड–**03–2059800530013**के विषयशीर्ष–27–लघुकार्य–0013.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत" कार्य के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025–26** में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष **2025–26** में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र पुनर्जीवित प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरांत हीं राशि की निकासी की जा सकेगी।

6. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **कार्यपालक अभियंता, उद्यान प्रमंडल, पटना** होंगे।

7. इस राशि की निकासी **सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड**, पटना से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेन्सी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।

8. प्रस्तुत योजना को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0) यो0प्राक्क0–01–140/2017 के पृष्ठ–23/टि. पर दिनांक–31.01.2026 को प्रदान की गयी है।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0) यो0प्राक्क0–01–140/2017 के पृष्ठ–25/टि0 पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7355 वि0(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह) 17/2/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 361(अ) पटना, दिनांक– 17/2/26

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 17/2/26